फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, ~~बाड़मेर~~ जोधपुर

पुखराज

बनाम

ढलाराम वगैरह

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. 113 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.2020	अपील पत्रावली बाद जांच होकर पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट श्री लाधूराम पूनिया एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2019 बअनवान ढलाराम बनाम पुखराज में पारित आदेश दिनांक 05.08.2020 के विरुद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 17.09.2020 को पेश हो।	
17/09/2020	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप.। आज आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18-09-2020 को पेश हो।	
18/9/2020	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं तथा उनके अभिभाषक उपस्थित। रेस्पा. नं.01 के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के मध्य रास्ते को लेकर प्रकरण में समझाईश की गई। उभय पक्ष द्वारा अंततः परिशिष्ट "क" नजरी नक्शा मुताबिक रास्ता दिया जाना / लिया जाना स्वीकार किया गया और उभय पक्ष की इस बाबत सहमति के फलस्वरूप उनके हस्ताक्षर परिशिष्ट "क" के साथ-साथ पत्रावली पर भी है। अपीलार्थी की शिनाख्त स्वयं उनके अधिवक्ता ने की। रास्ते के संबंध में भली भांति अवगत कराया और नक्शे को समझाया गया। अपीलार्थी की ओर से रास्ते की चौड़ाई 4.5 गट्ठा रखी गई थी जिसे कम किये जाने पर सहमति बनी। नजरी नक्शे में दर्शित गै.मु. रास्ता से ख.नं. 327 में प्रवेश करते समय रास्ते की चौड़ाई 20 फीट रखी गई है	Res. N. 01 (वकील रेस्पा. नं.1) (अपीलार्थी)

परिशिष्ट "अ"

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

अपील सं० 113/2020

पुखराज बनाम टेलाराम वगैरह

निर्णय दि० 18/9/2020

18/9/2020

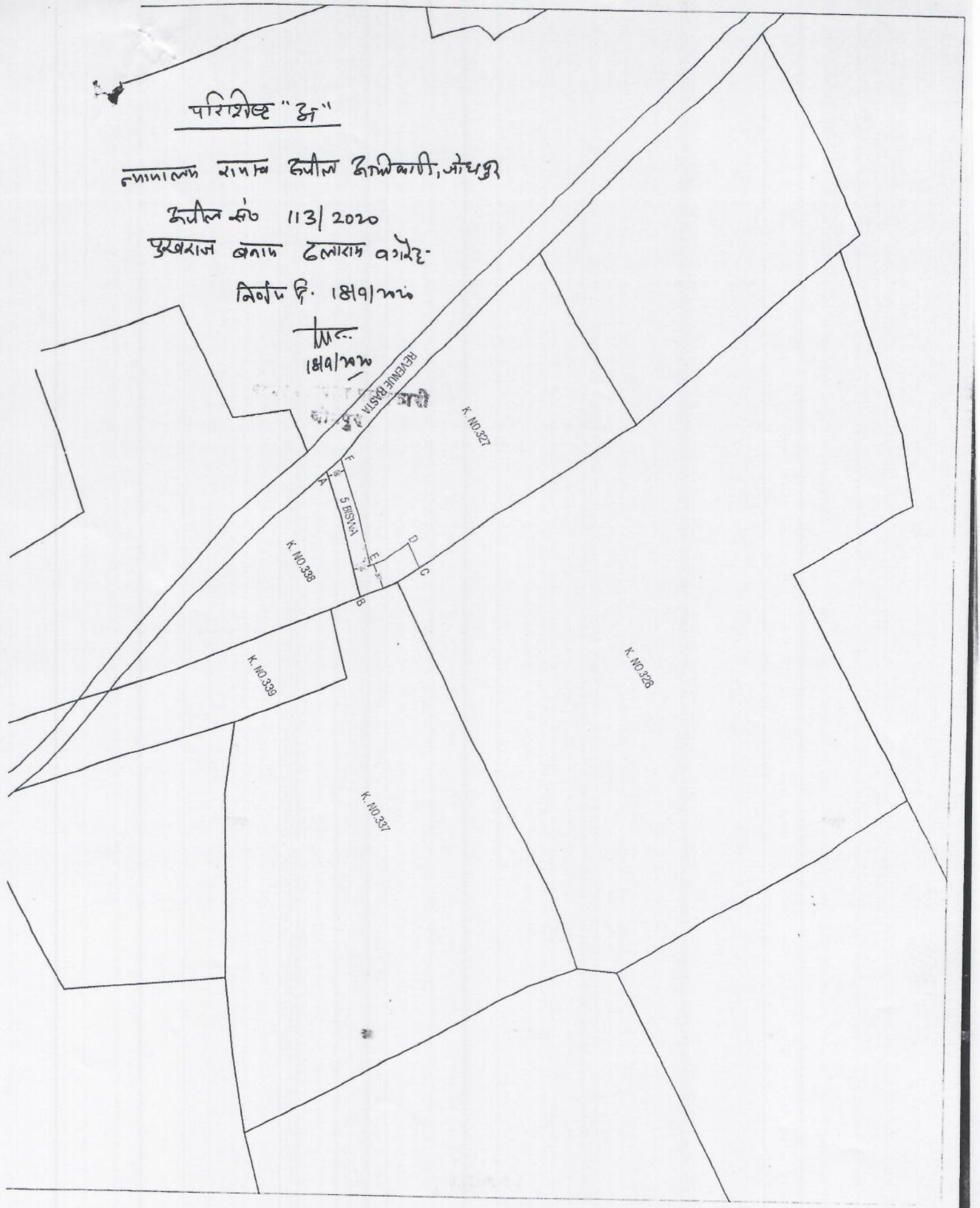

(वकील अपीलार्थी नं-1)

Rec. No. 01 18.09.2020

(वकील अपीलार्थी)

जो सेपाउंट सं० 1 के खेत जमा नंबर 328 में प्रवेश करने के बाद इसके ठीक पहले 30 फीट में (लगभग) रास्ते की चौड़ाई 30 फीट रखी गई है। इस प्रकार रास्ता A B C D E F से दर्शित किया गया है जिसका रकबा 5 बिस्वा है और पूर्व में प्रदत्त रास्ते में रकबा 6 बिस्वा 15 बिसांसी था। उपरोक्त रास्ता की चौड़ाई एवं रकबे के संबंध में उभय पक्ष सहमत हैं सिवाय "परिशिष्ट ब" मुताबिक रास्ता दिये जाने के कोड़ा करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यह रास्ता अपीलार्थी के खेत ज०नं० 327 की दक्षिणी सीमा के सहारे-2 और अंत में मुड़कर E D वाला भाग खेत ज०नं० 328 की पश्चिमी साइड पर होगा, जो पूर्व में प्रदत्त रास्ते से थोड़ा संशोधित इस प्रकार है कि रास्ते की दक्षिणी दिशा में अपीलांट की भूमि का कोई भाग नहीं रखा गया है जिससे कि अपीलांट के खेत के दो टुकड़े नहीं हो।

अपील अपीलांट उभय पक्ष की सहमति। रजामंदी के आलोक में अंशतः स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा "परिशिष्ट ब" में दर्शित A B C D E F रास्ता उपरोक्तानुसार। दर्शित अनुसार चौड़ाई का एवं जिसका कुल रकबा 5 बिस्वा है, प्रदान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। परिशिष्ट ब" इस आदेश का अभिन्न अंश होकर इसके संलग्न रहेगा। तहसीलदार, लूणी को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश और "परिशिष्ट ब" के अनुसार रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अविलम्ब अमल दरामद कर गाँ० मु० रास्ता की 5 बिस्वा भूमि का अंकन राजस्व सरकार के खाते में दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना करे। रास्ते के रकबे 5 बिस्वा भूमि की प्रतिकर राशि निर्धारित रुपये 12375 (बारह हजार तीन सौ पिचहत्तर) निर्धारित की जाती है जो अपीलार्थी को देय होगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, और तामील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति अधि० न्यायालय एवं तहसीलदार, लूणी को प्रेषित की जावे।

[illegible]